

अतः विपक्षीगणों को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से कि विपक्षीगण आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजियात वाके विनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ जिसके खाता संख्या नया 527 रकबा 0.2400 हेक्टेयर, आ0नं0 528 रकबा 0.3000 हेक्टेयर कुल रकबा 0.5400 हेक्टेयर स्थित भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा रखें। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई जावे। विपक्षी कोई एतराज हो तो वे अपना पक्ष/जबाब दिनांक 20.04.2022 को उपस्थित होकर करें। विपक्षीगण को हुक्म ईम्टनाई चन्दरोजा जारी हो। पत्रावली वास्ते जबाब हेतु दिनांक 20.04.2022 को पेश हो।

26/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील डा. रीणा डप0 अपीलान्ट / डा. रीणा ने एक डा. रीणा पत्र धारा 151 आ0 दी0 का पेश किया। डा. रीणा पत्र का अवलोकन किया गया। वकील डा. रीणा की बहाना खरी गई। डा. रीणा ने विपक्षीगण के विरुद्ध अब कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहती हैं। डा. रीणा द्वारा स्टैंज पर विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 22.3.22 का जारी जल्पाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाकर प्रकरण विरुद्ध किया जाता है। पत्रावली फिलहाल शुभान्त होकर बन्द हो गई है।

निम्बाहेडा

26/4/2022

उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)